

न्यूज़ डुडे

एशियाई शेरों की पहचान के लिए सिम्बा/SIMBA (सॉफ्टवेयर विद इंटेलिजेंट मार्किंग बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एशियन लायंस) तकनीक

○ गुजरात वन विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एक फोटो-पहचान सॉफ्टवेयर अर्थात् 'SIMBA (सिम्बा)' का उपयोग किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को शेरों के शरीर के पैटर्न या शारीरिक चिह्न में अंतर करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, ताकि शेरों की अलग-अलग पहचान की जा सके।

➤ इसे हैदराबाद स्थित 'टेलिओलेक्स' द्वारा विकसित किया गया है।

○ यह कैसे काम करता है?

➤ एशियाई शेरों के थूथन के दोनों ओर विशेष मूँछ के धब्बे (व्हिस्कर स्पॉट) होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, कोई भी दो व्हिस्कर स्पॉट्स पैटर्न सामान्य नहीं होते हैं अर्थात् शेरों में यह पैटर्न अलग-अलग होता है। साथ ही, समय के साथ इनमें कोई बदलाव नहीं होता है।

➤ मशीन लर्निंग तकनीक के साथ SIMBA अलग-अलग शेरों की पहचान स्वचालित तरीके से करता है। SIMBA इस कार्य को निम्नलिखित के आधार पर पूरा करता है:

- अलग-अलग शेरों के व्हिस्कर स्पॉट में अंतर के आधार पर,
- चेहरे पर किसी निशान, कानों पर दाग या काटने के निशान के आधार पर; और
- तस्वीर से संबंधित अन्य मेटाडेटा के आधार पर।

○ SIMBA का महत्व:

➤ इससे उपयोगकर्ता को यह पहचानने और जाँच करने में सहायता मिलती है कि क्या कोई शेर पहले से ही डेटाबेस में मौजूद है या वह कोई नया शेर है।

➤ लिंग, नाम, माइक्रोचिप नंबर, जीवन की स्थिति, दूध पिलाने वाली मादा शेर जैसी अतिरिक्त जानकारियों का उपयोग भी डेटाबेस में शेरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

➤ इससे एशियाई शेरों के पर्यावास में प्रजातियों के संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सहायता मिलेगी।

एशियाई शेर के बारे में

○ यह भारत में पायी जाने वाली पांच बड़ी कैट स्पीशीज में से एक है। अन्य चार हैं— बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड।

○ एशियाई शेर केवल भारत में गुजरात के पांच संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। ये पांच संरक्षित क्षेत्र हैं— गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य, पनिया अभयारण्य, मिटियाला अभयारण्य और गिरनार अभयारण्य।

○ समूहों में रहने वाली एकमात्र कैट स्पीशीज शेर है। इन समूहों को 'प्राइड' (शेरों का समूह) कहा जाता है।

➤ मादा शेर 'प्राइड' की प्रमुख शिकारी होती है।

➤ गर्भधारण की अवधि 100—119 दिनों के बीच होती है।

○ संरक्षण स्थिति:

➤ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध

➤ वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध।

➤ IUCN की लाल सूची में "एंडेंजर्ड या संकटापन्न" श्रेणी में सूचीबद्ध।

○ एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकार में थोड़े छोटे होते हैं।

➤ IUCN की लाल सूची में अफ्रीकी शेर 'वल्नरेबल' (सुमेध) श्रेणी में सूचीबद्ध हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य आपदाओं को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 'महामारी संधि (Pandemic Treaty)' पर विचार कर रहा है

○ कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में उजागर हुई खामियां को देखते हुए, WHO एक "महामारी संधि" पर विचार-विमर्श कर रहा है।

➤ इस संधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- भविष्य में वैश्विक महामारी की घटना को रोकने के लिए एक अभिसमय, समझौता या अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपाय प्रदान करना; तथा
- वैश्विक महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु तैयारी और कार्यवाई में सुधार करना।

○ इस संधि की पृष्ठभूमि:

➤ विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA) द्वारा दिसंबर 2021 में अपना दूसरा विशेष सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र में WHA द्वारा एकमात्र निर्णय को अपनाया गया, जिसका शीर्षक "द वर्ल्ड टुगेदर" था।

■ WHA द्वारा ऐसा पहला विशेष सत्र वर्ष 1948 में अपनी स्थापना के समय आयोजित किया गया था।

➤ इस निर्णय के तहत, WHA ने एक "अंतर-सरकारी वार्ता निकाय" (Intergovernmental Negotiating Body: INB) का गठन किया है। इस निकाय को विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुपालन में वैश्विक महामारी संधि की विषय-वस्तु का प्रारूप तैयार करने और उस पर वार्ता करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

○ इस वैश्विक महामारी संधि में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है:

- उभरते हुए नये वायरस का जीनोम अनुक्रमण करना और उससे संबंधित डेटा को साझा करना,
- टीकों और दवाओं का समान वितरण सुनिश्चित करना, तथा विश्व भर में इससे संबंधित अनुसंधानों को साझा करना।

○ यूरोपीय संघ चाहता है कि इस संधि में वन्यजीवों के बाजारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रावधान भी शामिल किये जाएं।

○ दूसरी ओर, यूरोपीय संघ यह भी चाहता है कि महामारी संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। हालाँकि, यू.एस.ए., ब्राजील और भारत ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुच्छेद 19

○ यह विश्व स्वास्थ्य सभा को स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर अभिसमयों (कन्वेंशंस) या समझौतों को अपनाने का अधिकार देता है। ऐसे अभिसमयों या समझौतों को अपनाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

○ अनुच्छेद 19 के तहत आज तक स्थापित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय उपाय "WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल" है।

रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station: ISS) को गिराने की धमकी दी है

- रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। इस संबंध में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा ISS को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, भारत या चीन पर गिराने की धमकी से एक भय का माहौल बन गया है।
 - अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) का कक्षीय उड़ान पथ रूस के अधिकांश क्षेत्रों के ऊपर से नहीं गुजरता है।
- ISS दो व्यापक भागों में विभाजित है। इसमें से एक भाग ऊर्जा और प्रणालियों (power and systems) से संबंधित है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका दूसरा भाग ISS को कक्षा में बनाए रखने से संबंधित है, जिसे रूस द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
 - रूस समय-समय पर अंतरिक्ष में प्रणोदक (थ्रस्टर्स) भेजता है। ये प्रणोदक ISS से जुड़ जाते हैं और इसे कक्षा में बनाए रखने के लिए आवश्यक गति प्रदान करते हैं। यदि ISS को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए प्रणोदक नहीं भेजा जाए, तो ISS पृथ्वी पर गिर जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बारे में:
 - यह एकमात्र कार्यशील अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। यह प्रयोगशाला वर्ष 1998 से पृथ्वी की सतह से लगभग 400 कि.मी. ऊपर एक प्रक्षेप-वक्र (trajectory) में पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है।
 - ISS को यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान एक "सहकारी कार्यक्रम" (co-operative programme) के रूप में संचालित करते हैं।
 - यह लगभग डेढ़ घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है।
 - इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के शून्य-गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में प्रयोगों, अंतरिक्ष का अन्वेषण करने संबंधी अध्ययनों और प्रौद्योगिकी विकास के लिए किया जाता है।

भारत के स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम में बाधा, बोली-प्रक्रिया 15 मार्च तक स्थगित की गयी

- रिपोर्टर्स के अनुसार, कई मुद्दों के कारण सरकार ने स्मार्ट-मीटर से जुड़ी बोली-प्रक्रिया को 15 मार्च तक स्थगित कर दिया है।
 - स्मार्ट मीटर के लिए बोलियां (बिड्स) 3.03 ट्रिलियन रुपये की पुनर्वितरण वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme: RDSS) के तहत आयोजित की जा रही हैं। इस योजना के लक्ष्य हैं:
 - भारत की औसत समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (Aggregate Technical and Commercial: AT&C) हानि को 20% के वर्तमान स्तर से घटाकर 12-15% करना।
 - वर्ष 2024-25 तक सेवा की औसत लागत और प्राप्त कुल राजस्व के बीच के अंतर को धीरे-धीरे कम करके शून्य करना। दूसरे शब्दों में, विद्युत की लागत और जिस मूल्य पर इसकी आपूर्ति की जाती है, के बीच के घाटे को धीरे-धीरे कम करके शून्य करना।
- स्मार्ट मीटर एक एडवांस एनर्जी-मीटर है। यह जिस प्रणाली या आउटलेट में लगा होता है, वहाँ की ऊर्जा खपत को दर्ज करता है।
 - स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड का एक घटक है।
- स्मार्ट मीटरिंग के लाभ:
 - ग्राहकों को लाभ: यह विद्युत की खपत को नियंत्रण करने के मामले में सहायक है। यह बेहतर शिकायत प्रबंधन, प्रणालीगत स्थिरता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता के माध्यम से उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि करता है।
 - विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को लाभ: यह AT&C हानि को कम करता है; कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करता है; ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहित करता है; बिल भुगतान में सुगमता को बढ़ाता है; और बिलिंग को त्रुटिहीन बनाता है।
- स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ी समस्याएं:
 - प्रीपेड भुगतान करने के बाद भी इन मीटरों के संचालन में विलंब होता है।
 - कनेक्शन और डिस्कनेक्शन मैनुअल रूप से किए जाते हैं। इस प्रकार, यह मानवीय हस्तक्षेप रहित उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।
 - स्मार्ट मीटरिंग में साइबर सुरक्षा जोखिम भी हैं, जिसमें डेटा निजता की समस्या भी शामिल है।

सरकार द्वारा किए गए उपाय

- राष्ट्रीय स्मार्ट मीटरिंग कार्यक्रम (National Smart Metering Programme: NSMP): इसका लक्ष्य 25 करोड़ पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलना है। यह बिजली की चोरी को कम करेगा और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
- नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (NSGM): यह मिशन भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाता है और उनकी निगरानी करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा या मृत्युदंड पर ऐतिहासिक निर्णय की पृष्ठि की है

- सुप्रीम कोर्ट ने 'छन्नू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य' मामले में निर्णय देते हुए कहा था कि मौत की सज़ा देने से पहले अपराधी में सुधार की संभावना की तलाश के लिए उसका मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकीय आकलन होना चाहिए। इससे अपराधी में सुधार की किसी संभावना का आकलन किया जा सकेगा।
- इस वाद या मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के निम्नलिखित निर्णयों को आधार बनाया:
 - बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामला: इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा देने के मामले में "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" क्राइम का सिद्धांत स्थापित किया था। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तेजक परिस्थितियों और गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण को अनिवार्य किया था।
 - माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' के सिद्धांत को और स्पष्ट किया तथा मौत की सज़ा के मामलों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए।
- उत्तेजक परिस्थितियाँ या जोश में आना: इसमें शामिल हैं— अपराध को अंजाम देने का तरीका, अपराध को अंजाम देने का उद्देश्य, अपराध की गंभीरता और अपराध का पीड़ित कौन है।
- गंभीरता को कम करने वाली परिस्थितियाँ: इसमें शामिल हैं— एक आरोपी के सुधार और पुनर्वास की संभावना, उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसके जीवन की पृष्ठभूमि।
- वर्ष 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मौत की सज़ा को अमल में लाने में बिना किसी ठोस कारण के देर करना, मृत्युदंड की सज़ा के लघुकरण (commutation) का एक आधार हो सकता है।
 - ऐसा होने पर एक कैदी, उसका कोई परिजन, या यहां तक कि एक सक्रिय नागरिक, इस तरह की सज़ा को कम करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर कर सकता है।

अन्य सुर्खियाँ



फरलो (Furlough)

- एक सजायापता कैदी व डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उनकी फरलो की समाप्ति के बाद वापस जेल भेज दिया गया है।
- **फरलो के बारे में:**
 - कानूनी शब्दों में, फरलो एक तरह से दोषी कैदियों के लिए अवकाश के समान है। फरलो के तहत एक निर्धारित अवधि के लिए कैदी को जेल से बाहर आने की अनुमति मिलती है।
 - जहाँ पैरोल एक कैदी को किसी विशिष्ट काम या अनिवार्यता को पूरा करने के लिए दी जाती है, वहीं **फरलो**, बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की सजा काटने के बाद प्रदान की जा सकती है।
 - फरलो प्रदान करने की शर्तें राज्यवार अलग-अलग हैं, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत **जेल राज्य का एक विषय है।**
- यह कैदी का कानूनी अधिकार नहीं है।
- इसका मुख्य उद्देश्य कारावास के चलते अवसाद या उदासी को समाप्त करना और अपराधी को समाज के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाना है।



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण
आयोग (National
Commission for Protection
of Child Rights: NCPDR)

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने NCPDR के नये आदर्श वाक्य (motto) **"भविष्यो रक्षति रक्षितः"** का शुभारंभ किया है। नया आदर्श वाक्य देश के भविष्य यानी बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। इसका शुभारंभ NCPDR के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है।
- NCPDR वस्तुतः बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
 - यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों से संबंधित सभी कानून, नीतियां और कार्यक्रम संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बाल अधिकारों के अनुरूप हों।
 - इसके तहत बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।
 - यह पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
 - **NCPDR, महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।**



मॉन्ट्रो कन्वेंशन (Montreux
Convention)

- तुर्की ने जलसंधि-व्यवस्था के संबंध में वर्ष 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन को लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तुर्की द्वारा यह निर्णय भूमध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी युद्धपोतों की आवाजाही को सीमित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
- मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अनुसार, बॉस्फोरस और डार्डनेल्स जलसंधि दोनों पर तुर्की का नियंत्रण है।
- यह काला सागर की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य घटक है।
- बॉस्फोरस और डार्डनेल्स जलसंधि को तुर्की जलसंधि या काला सागर जलसंधि के रूप में भी जाना जाता है। ये जलसंधियाँ मरमरा सागर के माध्यम से एजियन सागर और काला सागर को जोड़ती हैं।
- यह एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे काला सागर के बंदरगाहों से कोई पोत भूमध्य सागर और उससे आगे तक पहुंच सकता है।



नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (NLP)
को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स
इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) के साथ
एकीकृत किया जाएगा

- नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (NLP) का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में व्यवसाय करने की सुगमता सुनिश्चित करना है। इसके लिए यह आयात-निर्यात, घरेलू व्यापार, आवाजाही आदि से संबंधित सभी हितधारकों को एक मंच के माध्यम से जोड़ता है।
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) परिवहन के सभी माध्यमों को एक ही प्लेटफॉर्म के तहत लाता है। इसके तहत यह कई मंत्रालयों व संगठनों से जुड़े सभी लॉजिस्टिक्स संबंधी हितधारकों को आपस में जोड़ता है।
 - इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 13-14 प्रतिशत है।
 - इसके 3 प्रमुख घटक हैं: मौजूदा डेटा के साथ एकीकरण करना; निजी अभिकर्ताओं के साथ डेटा का आदान-प्रदान करना और आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत दस्तावेज बनाए रखना।



निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी परिनियोजन
के लिए सुविधा (Facility for
Low Carbon Technology
Deployment: FLCTD)

- **FLCTD**, वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्तपोषित एक परियोजना है। इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के सहयोग से कार्यान्वित जा रहा है।
- FLCTD को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में मौजूदा प्रौद्योगिकी अंतराल को समाप्त करना है। इसके लिए यह इनोवेटिव ऊर्जा दक्षता और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करता है।
 - FLCTD ने निम्नलिखित क्षेत्रों में **"इनोवेशन चैलेंज"** के लिए छह प्राथमिकता आधारित तकनीकी घटकों की पहचान की है:
 - वेस्ट हीट रिकवरी,
 - स्पेस कंडीशनिंग,
 - इंडस्ट्रियल रिसोर्स एफिशिएंसी;
 - इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज आदि।

 कोणार्क मंदिर (Konark Temple)	○ ओडिशा, कोणार्क मंदिर और कोणार्क शहर को 100 प्रतिशत सौर शहर बनाने की योजना पर कार्य कर रहा है। ○ कोणार्क मंदिर के बारे में: ➤ सूर्य देव को समर्पित यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। ➤ इसका निर्माण पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 1238–1250 ई. के मध्य कराया गया था। ➤ यह कलिंग स्थापत्य शैली का एक मंदिर है, जो नागर मंदिर वास्तुकला की एक उप-शैली है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख भाग होते हैं: ■ रेखा देउल या विमान, जो एक शिखर युक्त संरचना होती है; ■ जगमोहन या सभा-भवन; ■ नटमंदिर या नृत्य भवन; और कई अन्य उप-संरचनाएं। ○ इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे "ब्लैक पैगोडा" के नाम से भी जाना जाता है।
  सुखियों में रहे व्यक्तित्व	बिश्नी देवी शाह (1902–1974) ○ बिश्नी देवी शाह का जन्म बागेश्वर, उत्तराखंड में हुआ था। ○ उन्हें उत्तराखंड की पहली महिला एक्टिविस्ट और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। ○ वह रात्रि जागरण में कुमाऊँ की कवि गिरदा के गीत गाती थीं। ○ वह महात्मा गांधी के जन जागरण से प्रेरित थीं। उन्होंने वर्ष 1940–41 में गांधीजी द्वारा शुरू व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। ○ वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक आंदोलनकारी महिला की भूमिका का अनुभव कराया। ○ उन्होंने स्वदेशी और खादी के विचार को प्रोत्साहित किया। ○ व्यक्तिगत जीवन—मूल्य: देशभक्ति, बहादुरी, स्वदेशी आदि। सुमद्रा कुमारी चौहान (16 अगस्त 1904 – 15 फरवरी 1948) ○ सुमद्रा कुमारी चौहान, अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुईं। ○ वह एक अग्रणी लेखिका थीं। साहित्य के पुरुष-प्रधान युग के दौरान भी उनकी रचनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हुईं। ○ उनकी कविता, झॉंसी की रानी, हिंदी साहित्य में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक मानी जाती है। ○ उन्होंने अपनी रचनाओं को हिन्दी की खड़ी बोली में लिखा। ○ उनकी कविताओं में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का भी चित्रण किया गया है।
 सुखियों में रहे स्थल	मेडागास्कर ○ मेडागास्कर एक महीने के भीतर ही चौथे उष्णकटिबंधीय चक्रवात (इमनाती/EMNATI) का सामना कर रहा है। ○ विशेषताएं और बाउंड्री (सीमाएं): ➤ मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है। यह अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में स्थित है। यह विश्व का पांचवां सबसे बड़ा द्वीप भी है। ➤ यह कोमोरोस, फ्रांस (मेयोट और रीयूनियन द्वीप, दोनों फ्रांस के अधीन है), मॉरीशस, मोजाम्बिक और सेशेल्स के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। ➤ मोजाम्बिक चैनल इसे अफ्रीकी महाद्वीप से अलग करता है। ○ कुछ भौगोलिक विशेषताएं: ➤ इसके तटीय क्षेत्रों में जलवायु उष्णकटिबंधीय, आंतरिक भागों में समशीतोष्ण और दक्षिण में शुष्क है। ➤ 250 से अधिक द्वीपों के साथ यहाँ विश्व की कुछ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणालियाँ और पश्चिमी हिंद महासागर में सबसे विशाल मैंग्रोव क्षेत्र मौजूद हैं। 

8468022022, 9019066066

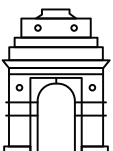
www.visionias.in


/c/VisionIASdelhi

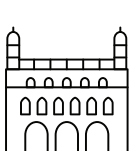
/Vision_IAS

/visionias_upsc

/VisionIAS_UPSC



दिल्ली



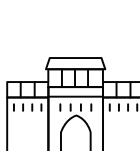
लखनऊ



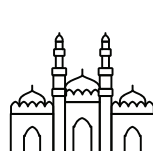
जयपुर



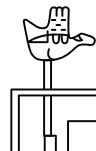
हैदराबाद



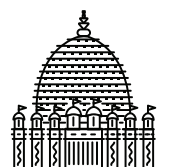
पुणे



अहमदाबाद



चंडीगढ़



गुवाहटी